



CIN: L74999RJ1938PLC019511

Regd. Office: Jaykaypuram, Basantgarh, District Sirohi, Rajasthan- 307019
 Administrative Office: Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002
 Email: rgupta@jklmail.com, Website: www.jklakshmicement.com
 Phone: 91-11-30179862/865/866

Notice

Transfer of Dividend & Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund

This Notice is published pursuant to Section 124(6) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016, a amended from time to time (collectively referred to as "the Rules").

The Rules, inter alia, provide for transfer of dividend which has not been paid or unclaimed for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and also contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or remain unclaimed by Shareholders for seven consecutive years or more to IEPF.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has, vide letter dated 5th May 2018, communicated the concerned shareholders individually that the dividend declared by the Company for the financial year 2010-11, which remain unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on 15th August 2018. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules. The shareholders are therefore requested to take appropriate action timely.

The Company has uploaded on its website (www.jklakshmicement.com) full details of such Shareholders and shares due for transfer to IEPF. Shareholders are requested to refer to the web-link <http://www.jklakshmicement.com/Investors/DividendInformation> to verify the details of unclaimed shares liable to be transferred to IEPF and claim their unclaimed dividends expeditiously by 15th July 2018 failing which the Company would transfer the unclaimed dividends and the said shares to the IEPF on the due date i.e. 15th August 2018 without any further Notice in accordance with the requirement of the Rules.

The Shareholders may note that the unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the concerned Shareholder from IEPF Authority by making an application in Form IEPF-5 as prescribed under the Rules.

Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF, may note that the Company shall issue new share certificate in lieu of original share certificate and inform the concerned depository by way of corporate action to convert the shares into demat form and transfer in favour of IEPF Authority. The original share certificate, upon such issue, will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. For shares held in demat mode, the Company will process the transfer of shares with the concerned Depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of IEPF Authority. The Shareholder may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF pursuant to the said Rules.

For any query or assistance, please speak to us or write at the above address.



Date: 14.05.2018
 Place: New Delhi

For JK Lakshmi Cement Ltd.
 B.K. Daga
 Sr. Vice President & Company Secretary



जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

CIN: L74999RJ1938PLC019511

पंजीकृत कार्यालय: जेकेपुरम, बसंतगढ़, जिला सिरोही, राजस्थान-307019
प्रशासनिक कार्यालय: नेहरू हाऊस, 4, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002
ई-मेल: rgupta@jksmail.com, वेबसाइट: www.jklakshmicement.com
फोन: 91-11-30179862/865/866

सूचना

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड (आईईपीएफ) को कंपनी के डिविडेंड एवं इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना 28 फरवरी 2017 को संशोधित एवं 7 सितंबर, 2016 से प्रभावी कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड प्राधिकरण (अकाउंटिंग, हस्तांतरण एवं रिफंड) नियम, 2016 के साथ पढ़ें जो कि धारा 124 (6) के अनुसार प्रकाशित की गई है (नियम रूप में एकसाथ संदर्भित)।

डिविडेंड के हस्तांतरण के लिए प्रदान नियम, इंटर एलिया, जो निदेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड (आईईपीएफ) के लिए जो डिविडेंड सात निरंतर वर्षों या अधिक के लिए अदा नहीं किया गया या दावा नहीं किया गया एवं साथ ही आईईपीएफ के लिए निरंतर सात वर्षों या अधिक के लिए शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया के साथ संबंध में सभी शेयरों के हस्तांतरण के लिए प्रवाधान किया गया है।

नियमों में निर्दिष्ट विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने अपने पत्र 5 मई 2018 के द्वारा संबंधित शेयरधारकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया है, जिसके शेयर पर्याप्त कार्यवाही करने के लिए नियमों के अंतर्गत आईईपीएफ के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हस्तांतरण करने के पात्र हैं। कंपनी द्वारा दिया गया लामांश, 2010-11 जो कि सात साल की अवधि के बाद भी दावा नहीं किया गया है, 15 अगस्त 2018 को आईईपीएफ में जमा किया जाएगा।

कंपनी ने आईईपीएफ को हस्तांतरण करने के लिए नियत शेयर एवं ऐसे शेयरधारकों का पुरा विवरण अपनी वेबसाइट (www.jklakshmicement.com) पर अपलोड किया है, शेयरधारकों से विनती है कि अविलंब उनके दावा न किए गए डिविडेंड का दावा करने एवं आईईपीएफ को हस्तांतरण करने के लिए पात्र दावा न किए गए शेयरों के विवरण का सत्यापन करने के लिए वेब लिंक <http://www.jklakshmicement.com.investors/DividendInformation> देखें।

शेयरधारकों से 15 जुलाई, 2018 तक उनके डिविडेंड का दावा करने की विनती की गई है अगर शेयरधारकों से वैध दावा प्राप्त नहीं हुआ तो कंपनी नियमों की आवश्यकता के साथ संबंध में किसी अतिरिक्त सूचना के बिना आईईपीएफ को उक्त शेयर डिविडेंड हस्तांतरित करेगी।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें की नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ-5 में आवेदन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से संबद्ध शेयरधारक द्वारा बाद में दावा किया गया तो भी ऐसे शेयर, यदि कोई है, पर प्राप्त होने वाले सभी लाभ सहित, आईईपीएफ को डिविडेंड एवं शेयर हस्तांतरित किए जाएंगे।

भौतिक रूप से शेयर रखनेवाले शेयरधारक एवं जिनके शेयर आईईपीएफ हस्तांतरित करने के लिए पात्र है, कृपया ध्यान दें कि कंपनी मूल शेयर प्रमाणपत्र के स्थान पर डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी एवं डिमैट प्रारूप में शेयरों को परिवर्तित कर कार्पोरेट कार्रवाई के रास्ते संबंध डिपॉजिटरी को सूचित करेगा एवं आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित करेगी मूल शेयर प्रमाणपत्र, ऐसे जारी करने पर, अपने आप निरस्त हो जाएगा एवं गैर लेनदेनवाला माना जाएगा, डिमैट प्रारूप में धरित शेयरों के लिए कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कार्पोरेट कार्यवाही के रास्ते संबंध डिपॉजिटरी के साथ शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया करेगी शेयरधारक अधिक ध्यान में रखें कि कंपनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया विवरण ध्यान देने योग्य है एवं उक्त नियमों के अनुसार आईईपीएफ को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त ध्यान देने योग्य दिखायी देता है।

किसी पूछताछ या सहयोग के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें या ध्यान आकर्षित करने के लिए ईमेल : rgupta@jksmail.com पर अधोहस्ताक्षरित को एक प्रति के साथ उपरोक्त पते पर लिखित में भेजें।



दिनांक : 14.05.2018

स्थान : नई दिल्ली

कृते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

बी.के.डागा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव